प्रत्येक व्यवसाय और प्रत्येक समूह प्रधान के लिए निश्चित अवधि निर्धारित करते हुए परिवर्तन के विभिन्न पहलों और मानव संसाधन की पहलों की पहचान की गई। वर्ष के दौरान इनमें से कई पहलों पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की गई और कई पहलों पर आरंभिक स्तर पर कार्यान्वित करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

ण. संगठनात्मक योजना - बैंक के वरिष्ठ पदों में परिवर्तन :

बड़े कारपोरेट ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने, ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी केंद्रों के व्यवसाय में वृद्धि, निजी ईक्विटी, संपदा तथा उद्यमों के लिए पूंजी व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और जोखिम प्रबंधन से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुपालन, बेसल- II समझौते को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से नई पहल के तहत वर्ष के दौरान कई नए वरिष्ठ पदों का सृजन किया गया।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए पदों का सृजन किया गया :

1. प्रबंध निदेशक तथा मुख्य ऋण एवं जोखिम अधिकारी
2. उप प्रबंध निदेशक तथा समूह कार्यपालक (थोक बैंकिग समूह)
3. उप प्रबंध निदेशक तथा समूह कार्यपालक (मिड कारपोरेट समूह)
4. उप प्रबंध निदेशक तथा समूह कार्यपालक (अनुषंगी व्यवसाय समूह)
5. उप प्रबंध निदेशक तथा समूह कार्यपालक (ग्लोबल मार्केट्स)
6. मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य सूचना अधिकारी-ग्लोबल आईटी)
7. मुख्य महाप्रबंधक (नव व्यवसाय निजी ईक्विटी, संपदा तथा उद्यम पूंजी निधि)
8. मुख्य महाप्रबंधक (ग्रामीण व्यवसाय-कृषीतर)
9. मुख्य महाप्रबंधक (सीपीपीडी)
10. मुख्य महाप्रबंधक (नव व्यवसाय - पैंशन निधि एवं साधारण बीमा)
11. महाप्रबंधक (नव व्यवसाय -धन संपदा प्रबंधन एवं निजी बैंकिंग)
12. उप महाप्रबंधक (वैकल्पिक माध्यम)
13. उप महाप्रबंधक (समूह जोखिम प्रबंधन विभाग)

त. सूचना का आधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई अधिनियम 2005)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले विभिन्न आवेदनों पर विचार करने हेतु बैंक द्वारा सुव्यवस्थित संरचना तैयार की गई है। सभी शाखा प्रमुखों (सीएजी को छोड़कर) आंचलिक कार्यालयों/ स्थानीय प्रधान कार्यालयों में कार्यालय प्रशासन के विभागाध्यक्षों तथा कारपोरेट केंद्र में सहायक महाप्रबंधक (आरटीआई) को एसीपीआईओ पदनामित किया गया है। स्थानीय प्रधान कार्यालयों में नेटवर्क के महाप्रबंधकों, मिड कारपोरेट-क्षेत्र के महाप्रबंधकों, कारपोरेट केंद्र में महाप्रबंधक (एसएएमजी) और महाप्रबंधक (राजभाषा एवं कारपोरेट सेवाएं) को सीपीआईओ के रूप में पदनामित किया गया है। स्थानीय प्रधान कार्यालयों को मुख्य महाप्रबंधक कारपोरेट लेखा समूह, मिड कारपोरेट समूह, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह को अधिनियम के अंतर्गत अपने अपने नियंत्रण का और कारपोरेट केंद्र व उसकी संस्थापनाओं के लिए मुख्य महाप्रबंधक (बैंकिंग परिचालन) को अपील-प्राधिकारी पदनामित किया गया है। कारपोरेट केंद्र में अलगसे एक सूचना का अधिकार अधिनियम विभाग (आरटीआइ डिपार्टमेंट) की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मामलों के समन्वय हेतु की गई है। आम जनता की सुविधा के लिए बैंक ने ईमेल लिंक riacell @sbi.co.in अपनी वेबसाईट http://sbi.co.in पर उपलब्ध कराया है।

थ. मानव संसाधन

थ.1. ज्ञानार्जन तथा विकास

बैंक ने अपनी श्रम शक्ति को बनाए रखने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

परिवर्तन अभियान के द्वारा कर्मचारियों में सृजित ऊर्जा को केंद्रीकृत करने के लिए और नई कल्पना, ध्येय तथा मूल्यों को स्थापित करने के लिए बैंक ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग की शुरुआत की है जो शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी।

एस. पी. जैन प्रबंध संस्थान के साथ प्रायोजित गठजोड़ के जरिए प्रबंधन शिक्षण हेतु युवा अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. प्रायोगिक आधार पर इस कार्यक्रम में 50 अधिकारियों का नामांकन किया गया है.

अपने 4 शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों तथा देशभर में फैले 45 ज्ञानार्जन केंद्रों की वजह से बैंक प्रशिक्षण तथा विकास के क्षेत्र में बैंक बहुत आगे है। साथ ही बैंक द्वारा ई-लर्निंग की शुरुआत की गई है जिससे कि कहीं भी कभी भी ज्ञानार्जन में सहायता मिलेगी।

थ. 2. एचआरएमएस

कर्मचारी प्रबंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को और आगे बढ़ाने के लिए बैंक ने अपने एसएपी-ईआरपी-एचआरएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मानव संसाधन प्रसंस्करण के स्वचालन की शुरुआत की है। पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाने पर यह न केवल सभी कर्मचारियों से संबंधित महत्पवूर्ण विवरण का भंडार होगा अपितु इसकी सहायता से स्टेट बैंक समूह के सभी कर्मचारियों के लिए विविध सेवाओं के लिए अनुरोध जैसे वैयक्तिक

Management of the Bank where various Transformational Initiatives were identified and discussed with fixed time lines, for each Business and Group Head in the Bank. Many of these initiatives were completed during the year and many are being closely followed up for implementation at grass root level.

O. ORGANISATIONAL PLANNING – CHANGES IN SENIOR POSITIONS IN THE BANK

New Senior positions were created during the year as part of new initiatives for complying with RBI guidelines relating to Risk Management, implementation of Basel-II accord, catering to the needs of large corporate customers, to drive business growth in non-farm sector in Rural & Semi Urban Centres and for targeting Private Equity, Realty and Venture Capital Fund Business.

The following new positions were created during the year:

1. Managing Director & Chief Credit and Risk Officer,
2. Deputy Managing Director & GE (Wholesale Banking Group),
3. Deputy Managing Director & GE (Mid Corporate Group),
4. Deputy Managing Director & GE (Subsidiaries Business Group),
5. Deputy Managing Director & GE (Global Markets),
6. Chief General Manager (Chief Information Officer – Global IT),
7. Chief General Manager (New Business Private Equity, Realty & Venture Funds),
8. Chief General Manager (Rural Business – Non-farm),
9. Chief General Manager (CPPD),
10. General Manager (New Business – Pension Funds & General Insurance),
11. General Manager (New business –Wealth Management & Private Banking),
12. Deputy General Manager (Alternate Channels),
13. Deputy General Manager (Group Risk Management Department)

P. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 (RTI ACT 2005)

Structure has been put in place for handling all matters relating to RTI Act 2005. All Branch Heads (except CAG), Assistant General Manager (COO) at CAG branches, all Heads of OAD at OLROs/RBOs/ZOs/LHOs and Assistant General Manager (RTI) at Corporate Centre have been designated as Assistant Public Information Officers (ACPIOs). General Managers of Networks at Local Head Offices, Deputy General Managers & Branch Heads of Corporate Account Group, General Manager of Mid Corporate-Region, General Manager of Stressed Assets Management Group (SAMG) and General Manager (OL & CS) at Corporate Centres have been designated as Central Public Information Officers (CPIOs). The Chief General Managers of LHOs, Corporate Account Group, Mid Corporate Group, Stressed Assets Management Group have been designated as Appellate Authority under the Act in their respective area of control and Chief General Manager (Banking Operations) for Corporate Centres and its establishments. An exclusive 'RTI Department', has been created at Corporate Centre to handle and co-ordinate various issues under the Act. For the convenience of the public, the Bank has created an RTI link in its website http://sbi.co.in and assigned an e-mail address riacell@sbi.co.in.

Q. HUMAN RESOURCES

Q.1 Learning & Development

Bank has taken up several key initiatives to motivate and retain its manpower.

In order to channelize the energy created by the Parivartan campaign, the Bank has launched a landmark exercise for creation of the new Vision Mission & Values statement which will be in place shortly.

Young officers are being encouraged to takeup management education by way of sponsorship tie-up with the S. P. Jain Institute of Management. 50 officers have been enrolled in the programme on a trial basis.

Bank is strong in the areas of training & development through 4 apex level training colleges and 45 learning centres across the country. 'e-learning' project has been launched to enable any where, anytime learning.

Q.2. HRMS

For leveraging technology in employee management area, the Bank has started automation of its HR processes through SAP-ERP-HRMS software. Once fully implemented, it will not only create a central repository of all employees data but also will make available a variety of services, like online request submission and viewing of individual data etc. to